ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

सार्वजनिक सूचना

प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026

डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

1. भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत "RELIEF" (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप) की घोषणा की है, जो डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के माध्यम से खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों के कारण माल ढुलाई में असाधारण वृद्धि, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए है। RELIEF हस्तक्षेपों को व्यवधान अवधि के दौरान पहले से भेजे गए शिपमेंट के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र में नियोजित संभावित निर्यातों को कवर करते हुए निर्यात चक्र में सहायता प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है।

2. स्वीकृत ढांचे के तहत, भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के पूर्ण स्वामित्व वाली ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, वितरण और निगरानी के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

3. RELIEF हस्तक्षेपों का उद्देश्य प्रभावित देशों में युद्ध संबंधी जोखिमों और उनसे जुड़े राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों के लिए डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट हेतु भेजे जाने वाले फुल कंटेनर लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) या रीफर कंटेनर (नाशवान माल) वाले शिपमेंट शामिल होंगे। इन RELIEF हस्तक्षेपों के तहत सहायता बैक-टू-टाउन कार्गो मामलों पर लागू नहीं होगी।

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

4. सरकार के निर्देशों के अनुरूप, RELIEF हस्तक्षेपों के परिचालन संबंधी विवरण सभी हितधारकों के लिए नीचे दिए गए हैं:

I. RELIEF घटक - I: ECGC के पहले से बीमित निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण सहायता

(i) उन निर्यातकों के लिए जिन्होंने पहले ही ECGC ऋण बीमा कवर प्राप्त कर लिया है

(ii) कवर की अवधि (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) मौजूदा प्रीमियम दरों पर 100% तक कवर प्रदान किया जाएगा

(iv) सरकार ECGC को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगी जो ECGC अपने पॉलिसीधारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देय राशि से अधिक भुगतान करेगी

II. RELIEF घटक - II: क्षेत्र में आगामी निर्यात के लिए निर्यात ऋण सहायता हेतु ECGC कवरेज को प्रोत्साहित और सुगम बनाना

(i) निर्यातकों को ECGC के ऋण बीमा कवर का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना

(ii) कवर की अवधि (16.3.2026 से 15.6.2026)

(iii) मौजूदा प्रीमियम दरों पर 95% तक का कवर प्रदान किया जाएगा

(iv) सरकार ECGC को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगी जो ECGC अपने पॉलिसीधारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देय राशि से अधिक भुगतान करेगी

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

III. RELIEF घटक - III: पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमित एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए असाधारण माल ढुलाई और बीमा अधिभार के लिए प्रतिपूर्ति सहायता

(i) गैर-ईसीजीसी ग्राहकों और एमएसएमई निर्यातकों के लिए

(ii) शिपमेंट की अवधि (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) निर्यातकों को अतिरिक्त माल ढुलाई और बीमा के 50% तक (सीआईएफ अनुबंधों के लिए) या अनुबंधित एफओबी मूल्य और प्राप्त निर्यात आय के बीच असाधारण अधिभारों के कारण हुई कमी के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो माल ढुलाई या बीमा लागत में वृद्धि के कारण हुई हो। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) युद्ध जोखिम अधिभार (डब्ल्यूआरएस)/आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ईसीएस) या इसी तरह के शुल्क;

(ख) अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (एडब्ल्यूआरपी);

(ग) समुद्री मार्ग व्यवधानों से जुड़े अतिरिक्त संघर्ष-संबंधित शिपिंग शुल्क; और,

(घ) माल ढुलाई पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।

(iv) प्रत्येक आईईसी को दी जाने वाली कुल सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(क) पात्र इनवॉइस के संबंध में निर्यातक द्वारा हुई वास्तविक हानि की सीमा,

(ख) निर्धारित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, और

(ग) इस घटक के अंतर्गत सभी पात्र खेपों के लिए प्रति निर्यातक ₹50 लाख की कुल सीमा।

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

5. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावे दाखिल करने की प्रक्रिया

ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के लिए (RELIEF घटक I और II)

- पॉलिसीधारकों को अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर साइन इन करना होगा।
- वे मौजूदा पॉलिसी दावा मॉड्यूल के माध्यम से दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) के लिए - (RELIEF घटक III)

- निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) को पहले ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर पंजीकरण/साइन अप करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- साइन अप के दौरान, निर्यातकों को निर्यातक ग्राहक कोड बनाने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ विवरण (जैसे, आईईसी, पैन, उद्यमम, बैंक खाता विवरण) प्रदान करने होंगे।
- इसके बाद, निर्यातक पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से RELIEF घटक III के अंतर्गत दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

ईसीजीसी कस्टमर पोर्टल पर पंजीकरण या दावा दाखिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए, निर्यातक निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।

1. पंजीकरण के लिए: https://youtu.be/Np9r_a13pZQ?si=ldZCorSEfglkEpVD
2. दावा दाखिल करने के लिए: https://youtu.be/IV9nbSZ2P38?si=FLvbT-HFA-yqebsT

6. **<u>RELIEF घटक III के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करते समय अपलोड/जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची</u>**

(**नोट** - प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए अलग दावा दाखिल किया जाएगा)

(i) आयातक-निर्यातक कोड (IEC) प्रमाणपत्र
(ii) MSME प्रमाणपत्र
(iii) क्रय आदेश/अनुबंध, यदि कोई संशोधन हो, सहित
(iv) इनवॉइस और पैकिंग सूची
(v) शिपिंग बिल
(vi) ऑनबोर्ड बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल
(vii) परिवहन और बीमा इनवॉइस जिनमें "असाधारण" अधिभार तत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, जैसे अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (AWRP), युद्ध जोखिम अधिभार (WRS), आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ECS) या इसी प्रकार के शुल्क, समुद्री मार्ग व्यवधानों से संबंधित अतिरिक्त संघर्ष-संबंधी शिपिंग शुल्क; और कार्गो शिपमेंट पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।
(viii) उक्त "असाधारण" अधिभारों की कटौती के लिए क्रेता के साथ पत्राचार
(ix) किए गए खर्चों के भुगतान का प्रमाण
(x) निर्यात आय की प्राप्ति के लिए बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
(xi) बैंक खाते का विवरण और रद्द किए गए चेक की प्रति

नोट – घटक I और II के लिए दस्तावेज, ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त, ECGC के दावा प्रपत्र में सूचीबद्ध अनुसार अपलोड/जमा किए जाएंगे। ऐसे सभी दावों की समग्र रूप से जांच की जाएगी।

7. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावों की प्रतिपूर्ति DGFT की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार की जाएगी।

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

RELIEF से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, कृपया RELIEF2026@ecgc.in पर ईमेल करें।
आप हमारी निकटतम शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं - विवरण हमारी वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकाशित 'शाखा लोकेटर' में उपलब्ध हैं - https://main.ecgc.in/english/branch-offices/

****